प्रेस नोट
दिनांक 23.10.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं एसओजी टीमों द्वारा 06 घंटे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 अदद सिलबट्टा(लोढ़ा) व 01 लोहे की रॉड बरामद-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-841/25, धारा 103(1) बीएनएस का त्वरित सफल अनावरण करते हुये आरोपी हत्याभियुक्त संदीप पुत्र स्व0 नन्द लाल को रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद सिलबट्टा (लोढ़ा) व 01 लोहे की रॉड बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 22.10.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंडितपुरवा गिर्द में एक घर में एक महिला श्रीमति कान्ति देवी पत्नी स्व. नन्दलाल उम्र लगभग 55 वर्ष का शव पड़ा हुआ होने तथा उनके चेहरे एवं सिर पर चोट के निशान होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुँचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वॉड टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। थाना कोतवाली नगर में मृतका के पुत्र प्रदीप कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए इसके शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में एसओजी एवं सर्विलांस सहित पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान आज दिनांक 23.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर मय हमराह द्वारा प्रकाश में आये आरोपी हत्याभियुक्त संदीप पुत्र स्व0 नन्द लाल को रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद सिलबट्टा (लोढ़ा) व लोहे की रॉड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पुलिस पूछताछ में अभियुक्त संदीप पुत्र स्व0 नन्दलाल द्वारा बताया गया कि लगभग 4-5 वर्ष पूर्व उसके पिता की मृत्यु के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति उसकी माता द्वारा उसको ना करके उसके छोटे भाई के पक्ष में कर दी गई थी, जिससे वह क्षुब्ध था। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी अक्सर विवाद होता रहता था। घटना के दिन भी सुबह इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिस दौरान आवेश में आकर अभियुक्त ने सिलबट्टा व लोहे की राड से अपनी माता पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सिलबट्टा (लोढ़ा) को अभियुक्त ने घर के ही पास झाड़ियों में छिपा दिया था तथा लोहे की राड को घर में ही छोड़ कर मौके से फरार हो गया था।
अभियुक्त की निशानदेही पर 01 सिलबट्टा (लोढ़ा) एवं 01 लोहे की रॉड बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. संदीप पुत्र स्व0 नन्द लाल नि0 पंडितपुरवा काशीराम गोण्डा गिर्द थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-841/25, धारा 103(1),110 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद सिलबट्टा (लोढा)।

02. 01 अदद लोहे की रॉड

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 विवेक त्रिवेदी प्रभारी निरीक्षक को0 नगर, गोण्डा।

02. हे0कां0 विजय सिंह

03. कां0 पंकज यादव

04. एसओजी/सर्विलांस मय टीम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.10.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या हेतु उकसाने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 191/2025 धारा 85/108/115(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त- रवि उर्फ फूलचंद वर्मा पुत्र छविलाल वर्मा को छजवा नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.10.2025 को वादी श्री लालबहादुर वर्मा पुत्र सूर्यलाल वर्मा ग्राम करौदी बक्सरा आजाराम थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ने थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी कि उनकी बहन का विवाह करीब 11 वर्ष पूर्व रवि वर्मा पुत्र छविलाल वर्मा ग्राम करौंदा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के साथ हुआ था । दिनांक 30.09.2025 को उनकी बहन नीलम ने फोन पर वादी को बताया कि उसके पति एवं ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया है । दिनांक 01.10.2025 को अभि0 रवि वर्मा ने घर आ करके बताया कि उनकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, वादी का आरोप है कि विपक्षीगण ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बहन को फांसी लगा लेने के लिए उकसाया गया है । वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 23.10.2025 को वरिष्ठ उपनि0 राम भवन पासवान मय हमराह उ0नि0 सत्य प्रकाश सिंह थाना मोतीगंज द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्त- रवि उर्फ फूलचंद वर्मा पुत्र छविलाल वर्मा को छजवा नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रवि उर्फ फूलचंद वर्मा पुत्र छविलाल वर्मा निवासी ग्राम करौदा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-191/25, धारा 85/108/115(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. वरिष्ठ उपनि0 राम भवन पासवान थाना मोतीगंज
02. उ0नि0 सत्य प्रकाश सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।